

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक...../

पटना, दिनांक.....

सं० सं०-05/उ०नि०ब० (पुनर्विनियोग) 01/2016

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना।

द्वारा :-

वित्त विभाग।

विषय :-

संलग्न विवरणी के अनुदान संख्या 23 के मुख्यशीर्ष-2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 लघु उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 प्रदर्शन केन्द्र, विपत्र कोड N2851001020001 विषय शीर्ष 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ में रू० 14,18,000/- (चौदह लाख अठारह हजार) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश :-

बिहार वित्तीय नियमावली खण्ड-I के नियम 489 के अन्तर्गत स्वीकृत।

2-

राशि का विकलन मुख्यशीर्ष-2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 104 हस्तशिल्प उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 हस्तशिल्प का विकास एवं शिल्प अनुसंधान संस्थान, विपत्र कोड N2851001040001 विषय शीर्ष 0501 पुरस्कार में रू० 4,00,000/-, 0601 चिकित्सा प्रतिपूर्ति में रू० 2,00,000/-, 1305 विधि प्रभार में रू० 20,000/-, 1306 वर्दी/पोशाक में रू० 19,000/-, 1401 किराया महसूल एवं कर में रू० 25,000/-, 1601 प्रकाशन एवं मुद्रण में रू० 1,85,000/-, 2002 कांफ्रेंस कार्यशाला सेमिनार में रू० 2,00,000/-, 2003 प्रशिक्षण व्यय में रू० 1,00,000/-, 2101 सामग्री एवं पूतियाँ में रू० 1,00,000/-, 2702 अनुरक्षण एवं मरम्मत में रू० 35,000/-, 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ में रू० 34,000/- तथा 5201 मशीनें एवं उपस्कर में रू० 1,00,000/- अर्थात् कुल रू० 14,18,000/- (चौदह लाख अठारह हजार) मात्र बचत की राशि से विकलित होगा।

3-

इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक(लेखा), उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4-

राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

5-

प्रस्ताव में सचिव (संसाधन), वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या 05/उ०नि०ब० (पुनर्विनियोग) 01/2016 के पृष्ठ 13/टि० पर दिनांक 22.02.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

कृ० पृ० उ०

ज्ञापांक/

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक **720** /

पटना, दिनांक **28-02-17**

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान सचिव, वित्त विभाग/उप सचिव, बजट शाखा, वित्त विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा-01(स0), उद्योग विभाग/बजट शाखा, उद्योग निदेशालय/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/श्रीमती विक्टोरिया पूर्ति, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय/ सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय/आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची-53, प्रपत्र संख्या-212

अनुदान / विनियोग

शीर्षक जिसके अधीन अतिरिक्त उपबंध अपेक्षित है।

मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 लघु उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 प्रदर्शन केन्द्र, विपत्र कोड N2851001020001

शीर्षक जिससे विनियोग प्रस्तावित है।

मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 104 हस्तशिल्प उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 हस्तशिल्प का विकास एवं शिल्प अनुसंधान संस्थान, विपत्र कोड N2851001040001

विनियोग की प्राथमिक इकाईयाँ	मूल उपबंध (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान उपबंध	तात्कालिक प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित व्यय	अपेक्षित अतिरिक्त उपबंध	कुल उपबंध जो जोड़ने के बाद रहेगा	विनियोग की प्राथमिक इकाईयाँ	मूल उपबंध (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान उपबंध	तात्काल लिए गए प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च	प्रत्यापित राशि	कुल उपबंध जो घटाने के बाद रहेगा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	1500000	3582000	5000000	1418000	5000000	0501 पुरस्कार	400000	400000	0	400000	0
						0601 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	200000	200000	0	200000	0
						1305 विधि प्रचार	20000	20000	0	20000	0
						1306 वर्दी/पोशाक	40000	40000	21000	19000	21000
						1401 किराया महसूल एवं कर	25000	25000	0	25000	0
						1601 प्रकाशन एवं मुद्रण	200000	200000	15000	185000	15000
						2002 कांफ्रेंस कार्यशाला सेमिनार	200000	200000	0	200000	0
						2003 प्रशिक्षण व्यय	100000	100000	0	100000	0
						2101 सामग्री एवं पूर्तियाँ	200000	200000	100000	100000	100000
						2702 अनुरक्षण एवं मरम्मत	50000	50000	15000	35000	15000
						2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	200000	200000	166000	34000	166000
						5201 मशीने एवं उपस्कर	100000	100000	0	100000	0
				1418000						1418000	

टिप्पणी

- (क) स्तम्भ-1 और 7 में ऐसे लघु उद्योग, उम शीर्ष दिखाये जाय जिससे इकाई संबंधित हो।
 (ख) स्तम्भ 3 या 9 में सम्पर्क पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुदान और पूरक या अतिरिक्त अनुदान की राशि सक्षम पदाधिकारी के आदेशानुसार अन्य इकाईयाँ में पुनर्विनियोजित रकम को घटाकर दिखाई जाय। स्तम्भ 3 और 9 में ऑकड़ें पीठ पर अंकित किया जाय।
 (ग) स्तम्भ 6 में 3 और 5 का जोड़ दिखाया जाय।
 (घ) स्तम्भ 12 में स्तम्भ 9 और 11 के ऑकड़ों का अन्तर दिखाया जाय।

(Handwritten signature and date)
 27/12/2012

अतिरिक्त पुनर्विनियोग के लिए आवेदन पत्र

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

संलग्न विवरणी के अनुदान संख्या 23 के मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 लघु उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 प्रदर्शन केन्द्र, विपत्र कोड N2851001020001 विषय शीर्ष 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ में रू0 14,18,000/- (चौदह लाख अठारह हजार) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

- 2- प्रस्तावित पुनर्विनियोग के संबंध में स्पष्टीकरण :-
राज्य के जिला उद्योग केन्द्रों में अनुबंध पर कार्यरत डाटा इण्ट्री ऑपरेटरों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 लघु उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 प्रदर्शन केन्द्र, विपत्र कोड N2851001020001 विषय शीर्ष 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। इसके लिए मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 104 हस्तशिल्प उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 हस्तशिल्प का विकास एवं शिल्प अनुसंधान संस्थान, विपत्र कोड N2851001040001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 0501, 0601, 1305, 1306, 1401, 1601, 2002, 2003, 2101, 2702, 2801 एवं 5201 से कुल रू0 14,18,000/- (चौदह लाख अठारह हजार) मात्र बचत राशि को प्रत्यर्पित करने का प्रस्ताव है।
- 3- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे।
- 4- पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्यर्पित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण यदि कुछ हो :-
पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण ऊपर कंडिका 2 में अंकित है।
- 5- स्तम्भ 2 और 3 तथा स्तम्भ 8 और 9 में यदि कोई अंतर हो तो उसका स्पष्टीकरण :-
(क) विपत्र कोड N2851001020001 के अन्तर्गत विभिन्न मदों से रू0 20,82,000/- के प्रत्यर्पण के द्वारा प्रस्तावित पुनर्विनियोग के कारण स्तम्भ 2 एवं 3 की राशि में अंतर है।
(ख) 8 एवं 9 में शून्य।